# कार्यालय, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

## अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवक्ता एवं स०अ०एल०टी० के आवेदकों हेतु सामान्य निर्देश

उत्तराखण्ड प्रदेश के अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं स०अ०एल०टी० की तैनाती की जानी है। जिनकी तैनाती अटल उत्कृष्ट, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं स०अ०, एल०टी० के पदों पर उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1157/XXIV-B-1/2021(01)/2020, दिनांक 17 मार्च, 2021 एवं 1613/XXIV-B-1/21-02(01)/2020 TC-1, दिनांक 23 जुलाई, 2021 के अनुसार स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से की जायेगी। उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सम्बन्धित संवर्ग के अध्यापक ही पात्र होंगे। आवेदनकर्ता अंग्रेजी माध्यम से पठन–पाठन संवाद करने में सक्षम हो एवं आवेदक की आयु **दिनाँक 31 दिसम्बर, 2024** को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। आवेदनकर्ता www.schooleducation.uk.gov.in पर दिये गये आवेदन प्रारूप पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक कार्यालय महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून में केवल अपराह्न 05 बजे तक ही पंजीकृत डाक से ही स्वीकार्य होंगे।

अन्य निर्देश–

1. **रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।**
2. रिक्त पदों की संख्या माह नवम्बर, 2024 के अनुसार दर्शायी गयी है।
3. उपरोक्त चयन प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा को होगा।
4. आवेदन पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 को अपराह्न 05:00 बजे तक कार्यालय महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून में केवल पंजीकृत डाक से ही स्वीकार्य होंगे। पंजीकृत लिफाफे के ऊपरी भाग में बांयी ओर लाल स्याही से आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित किया जाये। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. आवेदन पत्र में सुस्पष्ट सूचनाओं की अपेक्षा की गई है, किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना होने पर अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति कर दी जायेगी।
6. आवश्यकता पड़ने पर स्क्रीनिंग हेतु विगत पाँच वर्षों की गोपनीय आख्याओं की प्रमाणित प्रति भी स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय से मांगी जा सकती है।
7. स्क्रीनिंग परीक्षा के उपरान्त स्क्रीनिंग परीक्षा की मेरिट (अंक समान होने पर अधिक आयु के कार्मिक को वरीयता देते हुए) के आधार पर अवरोही क्रम में कार्मिकों की तैनाती काउन्सिलिंग के माध्यम से की जायेगी। यदि कोई कार्मिक काउन्सिलिंग के द्वारा प्रदर्शित कार्यस्थलों में पदस्थापना के इच्छुक न हो तो अवरोही क्रम में उनके पश्चात आने वाले कार्मिकों को अवसर प्रदान किया जायेगा।
8. स्क्रीनिंग परीक्षा में चयनित प्रवक्ता एवं स०अ०,एल०टी० को क्रमशः वरीयतानुसार रिक्त पद के सापेक्ष इच्छित विद्यालय आवंटित किया जायेगा।
9. स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों से अंग्रेजी भाषा में विषय का शिक्षण, अंग्रेजी भाषा, विषय ज्ञान, शिक्षण गति–विधियों तथा अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्य अपेक्षाओं के अनुरूप प्रश्न पूछे जायेगें।
10. शिक्षण कार्य में सक्षम न पाये जाने पर निर्धारित अवधि से पहले भी प्रवक्ता एवं स०अ०,एल०टी० की अटल उत्कृष्ट विद्यालय से तैनाती समाप्त की जा सकेगी।